न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर
लिंक कोर्ट सागर म.प्र.

निग - 2155 - I-16

राधाबाई पत्नि मोहन लाल पटैल कुर्मी
ग्राम ससनाकलॉ तह तेदूखेडा जिला दमोह

आवेदिका

बनाम-

1. उमाबाई पति रामदयाल पटैल कुर्मी निवासी खकरिया रोड विटनेरी अस्पताल के पास तेदूखेडा दमोह
2. अन्नू लाल पिता नर्मदा प्रसाद पटैल कुर्मी निवासी ससना कलॉ तह तेदखेडा जिला दमोह

— अनावेदकगण

30/8/16

दावा पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

आवेदिका निम्न विनय करती है :—

1. यह कि आवेदिका एवं अनावेदकों ने 1/3 हिस्से में मौजा तेदूखेडा प.ह.नं 12/45 नं. 260 रा.नि.मं. तेन्दूखेडा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 585/2 रकवा 0.094 हे भूमि विकेता जगदीश सुरेन्द्र नरेन्द्र पिता रामविशाल शर्मा एवं दमयंती बाई बेवा रामविशाल शर्मा से बैनामा दिनांक 01.01.1997को कय की थी।

2. यह कि उक्त कय शुदा बैनामा का नामान्तरण संशोधन पंजी कमांक 86 आदेश दिनांक 17.09.2003 को हुआ था परन्तु उक्त संशोधन पंजी पर नामान्तरण आवेदिका एवं अनावेदकों का शामिल शरीक में होना था परन्तु ऐसा ना करके अनावेदिका कमांक 1 उमाबाई के द्वारा पूर्णताः फर्जी ढंग से केवल अपना नाम दर्ज करवा लिया गया है जोकि विधि विरूद्ध होने से निरस्ती योग्य है।

3. यह कि उक्त भूमि आवेदिका राधाबाई, अनावेदक कमांक 1 उमाबाइ एवं अनावेदक कमांक 2 अन्नूलाल के द्वारा सोझेदारी में कय की गई थी तो तीनों के शामलाती नाम दर्ज होने से परन्तु ऐसा न करके न्यायालय तहसीलदार महोदय ने विधि विरूद्ध आदेश पारित करते हुये महज अनावेदक कमांक 1 उमाबाई के नाम दर्ज कर दिया गया है जो कि निरस्त योग्य है।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2955—एक/2016 जिला दमोह

राधाबाई विरूद्ध उमाबाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07—03—2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तेन्दूखेड़ा जिला दमोह के प्रकरण क्रमांक 45/अ—6/2007—08 में पारित आदेश दिनांक 23—4—2009 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25—9—2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला दमोह के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 06—05—2019 को कलेक्टर दमोह के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 07/3/19	